न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस

अपील संख्याः 02/22
(जीसीएमएस संख्या 2022/22)

निर्णय दिनांकः– 05.10.2023

1. मोखराम
2. नरसीराम
3. बनवारीलाल
4. म. केशर

समस्त पिसरान शिवलाल पुत्र किस्तूराराम निवासीगण गौडू तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

5. मु. सुगनी देवी पत्नी बागाराम
6. महीराम
7. सुन्दरलाल पिसरान बागाराम जाति बिश्नोई निवासीगण गौडू तहसील
8. हड़मानराम बज्जू जिला बीकानेर
9. रामस्वरूप
10. जोधाराम

पुत्रगण रणजीताराम जाति बिश्नोई निवासी गौडू तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

11. मोहनराम पुत्र बींजाराम जाति जाट निवासी गौडू तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. रामधन पुत्र हरभजराम जाति बिश्नोई गौडू तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्स

3. ठाकरराम पुत्र किस्तूरराम जाति बिश्नोई निवासी गौडू तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–गौण रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बज्जू
दिनांक 24–12–2021

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बज्जू के आदेश दिनांक 24–12–2021 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि तहसील बज्जू के चक 8 पीएसडी के मुरब्बा नम्बर 43/51 में व रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि चक 8 पीएसडी के मुरब्बा नम्बर 43/51 व मुरब्बा नम्बर 43/52 में स्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी जोत में आवागमन हेतु रास्ते की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् की खातेदारी भूमि चक 8 पीएसडी के मुरब्बा नम्बर 43/51 के किला नम्र 23, 24 व 25 में 02–02 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व इस तथ्य की कतई जॉच नहीं की गई कि रेस्पोडेन्ट् को अपनी जोत में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है तथा इस आशय का अंकन स्वयं रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भी किया गया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही अपीलांट् की जोत में से आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील बिना रिपोर्ट मंगवाये रिकार्ड एवं तथ्यों के विपरीत जाते हुए अपीलांट के विरूद्व पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि वह अपीलार्थी की भूमि में से अपने खेत में आता–जाता है और मौके पर रास्ता काफी समय से चल रहा है। जबकि वास्तव में ना तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कभी अपीलार्थी के खेत में से आता जाता रहा है ना ही मौके पर ऐसा कोई मार्ग आवागमन हेतु वर्तमान में उपलब्ध है। उक्त तथ्यों को साबित करने का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए के तहत वो ही खातेदार रास्ते की मांग कर सकता है जिसके खेत में जाने के लिए कोई रास्ता पूर्व में उपलब्ध नहीं है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है वह अपीलार्थी के खेत में से आता—जाता है। जहॉ तक रास्ते के प्रकरण का प्रश्न है अदालत मातहत को चाहिए था कि वे वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट तहसीलदार या भू—अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा तैयार की जानी होती है। इस संबंध में विधायिका द्वारा नियम 69 प्रतिस्थापित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से रास्ता कायम करने से पूर्व इस तथ्य की और ध्यान नहीं दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट संबंधित हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई है, जोकि स्पष्ट रूप से नियम 69 की अवहेलना की श्रेणी में आता है। जबकि रास्ते के प्रकरणों में नियम 69 की पालना किया जाना आज्ञापक प्रावधान है। इसप्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए अपीलांट् के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है।

चूंकि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के मुरब्बे में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा II में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुराभि संधि से प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने योग्य है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के नाम चक 8 पीएसडी के मुरब्बा नम्बर 43/51 व 43/53 में कुल तादादी 6 बीघा भूमि निहित है। उक्त भूमि पर आवागमन हेतु पूर्व से कोई स्वीकृत रास्ता नहीं होने की दशा में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट् की जोत में से आवागमन हेतु रास्ते की मांग किये जाने पर नियमानुसार संबंधित तहसीलदार से मौका रिर्पोट प्राप्त होने के उपरान्त व उक्त रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी को आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही चक 8 पीएसडी के मुरब्बा नम्बर 43/51 के किला नम्बर 23 ता 25 में से प्रत्येक में रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है। अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश के माध्यम से जो रास्ता स्वीकृत किया गया है उक्त रास्ते से किसी को नुकसान नहीं होना है। प्रकरण में जहॉ तक अभिभाषक अपीलांट् का यह कथन कि रेस्पोडेन्ट को पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है, उक्त रास्ता चक प्लान के अनुसार मौके पर खाला की भूमि है। जिस पर आवागमन सुलभ नहीं है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त करने व आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति व रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity & convenient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा चक 8 पीएसडी के मुरब्बा नम्बर 43/51 के किला नम्बर 23 ता 25 में से गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, रास्ते के मामलों में सर्वप्रथम यह कथन उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत रास्ते के प्रावधानों में मौका रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया तैयार किया जाना अपरिहार्य है। प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के अनुसार वादग्रस्त भूमि के बाबत् रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट संबंधित पटवारी से मौका निरीक्षण व रिपोर्ट तैयार किया जाना प्रथम दृष्टया साबित है। जबकि रास्ते के प्रकरणों में विधायिका द्वारा स्पष्ट रूप से नियम 69 प्रतिस्थापित किया गया है। जिसके अनुसरण में संबंधित तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा मौके की रिपोर्ट तैयार किया जाना अपरिहार्य किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् की जोत में से आवागमन हेतु रास्ता कायम करने से पूर्व प्राप्त मौका रिपोर्ट संबंधित पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हुए भी रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किया जाना इस तथ्य को इंगित करता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधायिका द्वारा स्थापित स्पष्ट नियमों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के पास ही मुरब्बा नम्बर 43/59 के किला नम्बर 21 में से आवागमन के लिये रास्ता है तथा प्रार्थी वर्तमान में मुरब्बा नम्बर 43/59 के किला नम्बर 21 से मुरब्बा नम्बर 43/51 के किला नम्बर 23, 24 व 25 से होते हुए अपने खेत मुरब्बा नम्बर 43/51 के किला नम्बर 22 में प्रवेश करता है। जबकि इसके चिपते ही दक्षिण की तरफ मुरब्बा नम्बर 43/52 के किला नम्बर 1, 2, 9 व 12 स्थित है, रेस्पोडेन्ट उक्त रास्ते से आवागमन करता है अथवा नहीं? उक्त रास्ता कटाण के रूप में पूर्व से स्वीकृत है अथवा नहीं? इस संबंध में भी किसी प्रकार की कोई टिप्पणी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील में नहीं की गई है।

धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity) को ध्यान में रखते हुए

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। रास्ते के प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 के तहत उपखण्ड अधिकाारी संक्षिप्त जॉच के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त रास्ता आत्याधिक आवश्यक है या नहीं? तथा यह भी कि उक्त रास्ता अन्य खातेदार (प्रत्यर्थी) की जोत में से होकर (विशेषकर जब आवेदन नये रास्तों के लिए हो) पहुॅचने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तब इस प्रकार रास्तों के मामलों में धारा 251 (ए) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा **संक्षिप्त जॉच, आत्यांतिक आवश्यकता एवं सुविधा को** जाना महत्वपूर्ण है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया है कि रेस्पोडेन्ट को अपनी जोत में आवागमन हेतु पूर्व से ही कोई रास्ता उपलब्ध है अथवा नहीं? रास्ते के मामलों में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि कोई भी काश्तकार अपनी सुविधा के लिये रास्ते की मांग नहीं कर सकता नाही रास्ते के मामलों में दूरी के प्रश्न को देखा जाना होता है। हम अभिभाषक अपीलांट् के इस तर्क से सहमत है कि रास्ते के आवेदन में दूर या नजदीक का प्रश्न नहीं है, वरन् यह देखा जाना चाहिए कि क्या वह युक्तियुक्त, तार्किक, आत्यांतिक आवश्यकता व सुखाचार की शर्तो को पूरा करते है या नहीं? प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने से अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, बज्जू का आदेश दिनांक 24—12—2021 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 5.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर